न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 977/2020/अजमेर (2020/00977)

सैयद दानियाल चिश्ती पुत्र श्री सैयद बिलाल हुसैन, निवासी 501/32, बिलाल मंजिल, दरगाह, अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
आदेश क्रमांक कअ/न्याय/2020/18940 दिंनाक 28–07–2020

————

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक :

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम एन.पी 12 बोर पिस्टल/रिवाल्वर हथियार के लिए निर्धारित प्रफोर्माए–1, नियम 11 के तहत एक आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार रखने के लिए अनुमति मांगी। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर, पुलिस अधीक्षक सीआईडी (एटीएस) जयपुर, तहसीलदार अजमेर उपवन संरक्षक (वन्य जीव) अजमेर से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक, अजमेर के अलावा सभी विभागो द्वारा अपीलार्थी को हथियार का लाईसेंस देने की सिफारिश की गई। इन सभी सिफारिशों को नजरअन्दाज कर अपने पत्र क्रमांक 18940 दिनांक 28–7–2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत आत्मरक्षार्थ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने आदेश दिनांक 28–7–2020 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया उक्त आदेश की सूचना अपीलार्थी को दिनांक 14–8–2020 को दस्तावेजात की प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर हुई। अपीलार्थी को संबंधित दस्तावेजात की प्रतिपिलियां दिनांक 22–8–2020 को प्राप्त हुई तत्पश्चात अभिभाषक से सलाह कर अपील तैयार कर प्रस्तत की गई है। तथा कोविड–19 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमोटो कर कोविड–19 के कारण मियाद अधिनियम के तहत निर्धारित मियाद अवधि में छूट दी है जो अभी भी जारी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से तथा कोविड–19 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमोटो कर कोविड–19 के कारण मियाद अधिनियम के तहत निर्धारित मियाद अवधि में छूट दी है जो अभी भी जारी है। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान

नहीं किया गया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13 (1) व 14 (3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लाईसेंस को जारी करने संबंधी आदेश करने से पूर्व आवेदक को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) नहीं है। इस आदेश में आवेदन पत्र को निरस्त करने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये है यह एक साधारण पत्र मात्र है जिसके द्वारा अपीलार्थी को केवल सूचित किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13 मे नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र का लाईसेंस जारी करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिसमें अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन अनुज्ञापन अधिकारी को दिया जावेगा और वह ऐसे प्रारूप में होगा उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, यदि कोई हो, जैसा या जैसी विहित किया जाये या की जाए।

आवेदन प्राप्ति पर अनुज्ञापन अधिकारी उस आवेदन पत्र पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की रिपोर्ट मंगवायेगा और ऐसा अधिकारी अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय पर भिजवायेगा। अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई जो, करने के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे, और उपधारा–(2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा। जहां निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी आवेदन विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना ही ऐसा आदेश कर सकेगा।

लाईसेंसिंग अथौरिटी केवल धारा–14 में वर्णित उपधारा (1) व (2) में वर्णित कारणों के होने पर ही लाइसेंस देने के लिए इन्कार कर सकते हे। आयुद्ध अधिनियम की धारा 14(1) (ख) के अन्तर्गत निम्न कारण दर्शाये गये है जिनके होने पर लाईसेंसिंग अथोरिटी लाईसेंस जारी करने से इन्कार कर सकते हैः–

1. यदि किसी व्यक्ति को आर्म्स व एम्यूनेशन रखने के लिए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत रोक लगा रखी है।
2. विकृत चित का व्यक्ति हो।
3. जहां लोक शांति व सुरक्षा के लिए या लोक क्षेम के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है।
4. यह कि अपीलार्थी पर किसी भी न्यायालय या अथोरिटी ने आर्म्स व एम्यूनेशन रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। अपीलार्थी विकृत चित्त का व्यक्ति नहीं है। जब ये कारण मौजूद ही नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

5. अपीलार्थी ने नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र में स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति मांगी थी। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में यह माना है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों व आयुद्ध नियम–2016 के प्रावधानों के तहत आत्मरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में भारत सरकार गृह मंत्रालय के परित्र दिनांक 31–3–2010 का जो भी उल्लेख किया है जिसमें आवेदक जान और माल का खतरा होने पर ही आत्म रक्षार्थ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सकता है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी दरगाह क्षेत्र में निवास करता है तथा खादिम है तथा दरगाह क्षैत्र में देश विदेश से कई जायरीन आते है जिसमें अलग–अलग किस्म के व्यक्ति आते है। अपीलार्थी का आवास बिल्कुल दरगाह शरीफ के पास स्थित है जिसमें वार्षिक मेले के दौरान काफी भीड़ रहती है। जिसमें कई बार दरगाह क्षैत्र हुडदंग मचा है। इसलिए स्वयं की सुरक्षा के लिए अपीलार्थी द्वारा हथियार का लाईसेंस मांगा था। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर एवं सी.आई.डी. तथा वन विभाग से व तहसील अजमेर से चाही गई रिपोर्ट में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अपीलार्थी को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होना नहीं पाया गया है। सभी विभागां द्वारा अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति अपने पत्रों में अंकित नहीं की है। उक्त सभी रिपोर्टो का अवलोकन किये बिना ही जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31–3–2010 को निर्देश जारी किये है कि आवेदक की जान व माल को खतरा होने पर ही आत्म रक्षार्थ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे। इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने उक्त आदेश में आयुद्ध नियम 2016 के नियम 12(3) में वर्णित निर्देशों का भी उल्लेख करते हुए आत्मरक्षार्थ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के बारे में लिखा है। इन परिपत्रों में यह अंकित नहीं किया है कि जान व माल तथा आत्मरक्षार्थ के बारे में कोई घटना घटित होने पर ही शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे। अपीलार्थी ने भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसलए आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाईसेंस अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने इन विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2020 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन को स्वीकार कर अपीलार्थी के नाम जारी नवीन शस्त्र का अनुज्ञापत्र जारी कराने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं

परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। यधपि जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर व सीआईडी जयपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाया है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। तहसीलदार, अजमेर, उपवन संरक्षक, अजमेर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी को अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित बताया है। तथापि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31–3–2010 को निर्देश जारी किये है जिसके तहत अपीलार्थी को जानमाल का खतरा होने पर ही आत्म रक्षार्थ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में निर्देशित किया हुआ है तथा आयुद्ध अधिनियम 2016 के नियम 12(3) में वर्णित निर्देशों में भी उक्त सन्दर्भ में प्रावधान किये हुए है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने आत्म रक्षार्थ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं कर आवेदन पत्र निरस्त किया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 28–7–2020 विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे मेरे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात में पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सुरक्षा) राज0 जयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 4–11–2019 में अंकित किया है कि अपीलार्थी श्री दानियाल चिश्ती पुत्र श्री सैयद बिलाल हुसैन, निवासी खादिम मोहल्ला, अजमेर को पिस्टल का शस्त्र अुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में सीआईडी विशेष शाखा में उपलब्ध रेकार्ड में आवेदक का संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होना नहीं पाया गया है। साथ ही उपवन संरक्षक, अजमेर एवं तहसीलदार, अजमेर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी का आचरण अच्छा है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

यहां यह भी स्पष्ट करना उचित है कि रेकार्ड पर उपलब्ध संबंधित रिपोर्टस के अनुसार अपीलार्थी ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। आर्म्स एक्त के प्रावधानों के तहत भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तथा न ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 110, 115(3) या 151 के तहत शांति भंग करने का कोई मुकदमा ही दर्ज हुआ है तथा न ही अपीलार्थी को किसी भी न्यायालय के द्वारा शांति बनाए रखने के लिए पाबन्द किया गया है। तहसीलदार, अजमेर व उपवन संरक्षक, अजमेर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अनुज्ञाधारी के विरूद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने उक्त समस्त रिपोर्टो को नजरअन्दाज किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने इन विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) नहीं है केवल मात्र पत्र द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर नवीन

शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त किया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक कअ/न्याय/ 2020 /18940 दिनांक 28–07–2020 विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर संबंधित विभागों से प्राप्त रिपोर्टो का नये सिरे से अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर